# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

**(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)**

प्रकरण संख्या 100/2017
प्रविष्टि दिनांक 07.11.2017

हरिनारायण पुत्र छीतर जाति मीणा निवासी खेडली तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला—टोंक राजस्थान
—रेस्पोडेण्ट

**अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार उनियारा दिनांक 25.09.2017. धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थिति : (1) श्री सरवर अली, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

**निर्णय** **दिनांक 20.12.2017**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने आदेश दिनांक 25.09.2017 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 0.44 है0,78 रकबा 0.74 है0 व 568 रकबा 0.10 है0 किस्म सिवायचक वाके ग्राम खेडली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सबूत व दस्तावेज पेश करने हेतु समुचित अवसर प्रदान नही किया एंव अपना पक्ष रखने का सम्पूर्ण अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया गया है। आराजी ख0नं0 568 रकबा 0.10 है0 रास्ता है जिससे अपीलांट का कोई संबंध नही है,उक्त रास्ते पर श्योजी मीणा ने अतिक्रमण कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे भी पूर्व मे अपीलांट को कब व किस दिनांक को किस पत्रावली के माध्यम से कार्यवाही कर बेदखल किया गया निर्णय मे उल्लेख नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय देने से पूर्व सी.पी.सी. के तामिल से संबंधित आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है।अपीलार्थी का वर्तमान मे मौके पर कोई कब्जा काश्त नही है। अपीलाण्ट ने कब्जा हटाने बाबत शपथ पत्र पेश

किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का उल्लेख किया गया है। अतिक्रमी बार बार अतिक्रमण करने का आदी है,उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुए है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष मे साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था। अपीलान्ट द्वारा ग्राम खेडली के खसरा नम्बर92 रकबा 0.44 है0,78 रकबा 0.74 है0 किस्म सिवायचक व 568 रकबा 0.10 है0किस्म गै0मु0 भूमि पर उडदं की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का के बयान से सिद्व है कि सम्वंत 2073 मे अपीलांट ने अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट ने शपथ पत्र पेश किया है कि मैंने उक्त भूमि पर से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य मे अतिक्रमण नहीं करूॅगा ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आशिंक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.09.2017 द्वारा अपीलाण्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अपास्त की जाती है कि अपीलाण्ट द्वारा शास्ती राजकोष मे जमा करादी है तथा अपीलाण्ट ने अतिक्रमित भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया है। तहसीलदार उनियारा यह सुनिश्चित करले की अपीलाण्ट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं है। यदि अपीलाण्ट अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाता है या पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक